न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

प्रकीर्ण वाद संख्या–M/336/12/2021

CNR संख्या–UPKJ040105042021

अमित कुमार यादव बनाम एडमिन बुआ बबुआ आदि।
थाना–ठठियां, जिला–कन्नौज।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० का निस्तारण

दिनांक–18.11.2021

WWW.LIVELAW.IN

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या–1 की फेकबुक आई०डी० से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी की जाती है तथा बदनामी की जाती है जिससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। मामले में मुकदमा पंजीकृत कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा साइबर सेल कन्नौज से आख्या आहूत की गयी जिसमें साइबर सेल ने फेसबुक पेज का यू०आर०एल० आई०डी० का विवरण उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही स्पष्ट आख्या प्रस्तुत किये जोन का कथन किया तथा यू०आर०एल० आई०डी० के बिना विवरण उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता जाहिर की। उक्त संबंध में न्यायालय द्वारा आवेदक से विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी, परन्तु आवेदक द्वारा उक्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से दर्शित होता है कि फेसबुक पेज पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के संबंध में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गाय है जिससे संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया दर्शित होता है परन्तु आवेदक द्वारा आहूत विवरण उपलबध न कराये जाने के कारण विपक्षीगण की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। प्रकरण के सारभूत निष्कर्ष हेतु, प्रार्थना पत्र में वर्णित कथानक के संबंध में पुलिस द्वारा अन्वेषण कराया जाना आवश्यक एवं विधिसम्मत है।

आदेश

संबंधित थाना प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथानक के संबंध में किसी को नामित न करते हुए **अज्ञात** में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर नियमानुसार अन्वेषण कराना सुनिश्चित करें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रति के साथ संबंधित थाना को अविलम्ब अनुपालनार्थ प्रेषित किया जावे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।